सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –28.08.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोग में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्त हमीर सिंह उर्फ हम्मीर पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी ग्राम सरावन थाना गोहन जनपद जालौन द्वारा वादी/पीडित कमल सिंह पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम बदनपुरा थाना गोहन जनपद जालौन को जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर गाली गलौज करना तथा मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना गोहन में मु0अ0सं0 168/20 (वाद संख्या- 63/21) धारा 323/341/452/504/506 भादवि व 391) द, ध एससी एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 28.08.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 एससी एसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त हमीर सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 17,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- थाना आटा में मु0अ0सं0 39/22 (वाद संख्या– 21/22) धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम दुर्गा प्रसाद पुत्र प्रभूदयाल निवासी मोहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना ललितपुर जनपद ललितपुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/एनडीपीएस कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त दुर्गाप्रसाद उपरोक्त को दोषी पाते हुये 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।